

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1314]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2016/ज्येष्ठ 5, 1938

No. 1314]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2016/JYAISTHA 5, 1938

**वित्त मंत्रालय**

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 26 मई, 2016

**अधिसूचना**

**का.आ. 1902(अ).**—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 202 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 दिसम्बर, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको या जिससे पूर्व कोई व्यक्ति नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 के अधीन कर बकाया या विनिर्दिष्ट कर के संबंध में घोषणा कर सकेगा।

[अधिसूचना सं. 34/2016, फा. सं. 142/11/2016-टीपीएल]

डॉ. ठाकुर सिंह मपवाल, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

New Delhi, the 26th May, 2016

**NOTIFICATION**

**S.O. 1902(E).**—In exercise of the powers conferred by section 202 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016), the Central Government hereby appoints the 31<sup>st</sup> day of December, 2016 as the date on or before which a person may make a declaration to the designated authority in respect of tax arrear or specified tax under the Direct Tax Dispute Resolution Scheme, 2016.

[Notification No. 34/2016, F.No.142/11/2016-TPL]

Dr. T. S. MAPWAL, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 मई, 2016

**प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016**

**का.आ. 1903(अ).**—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 211 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समकरण उद्ग्रहण से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ --** (1) प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016 है।

(2) ये 1 जून, 2016 से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं --** (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) “स्कीम” से वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) के अध्याय 10 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016 अभिप्रेत है;

(ख) “धारा” से वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा अभिप्रेत है;

(ग) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) वे शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं और वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) के अध्याय 10 के अधीन परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका उस स्कीम में है।

**3. धारा 203 के अधीन घोषणा और वचनबंध का प्ररूप --** (1) धारा 203 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्ररूप 1 में दो प्रतियों में की जाएगी और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित की जाएगी।

(2) धारा 203 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट वचनबंध प्ररूप 2 में घोषणा के साथ प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित किया जाएगा।

(3) यथास्थिति, उपनियम (1) के अधीन घोषणा और उपनियम (2) के अधीन वचनबंध पर घोषणाकर्ता या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अनुसार उसके मामले में आय-कर की विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी घोषणा की प्राप्ति पर उसकी अभिस्वीकृति की रसीद जारी करेगा।

**4. धारा 204 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र का प्ररूप -** नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी धारा 204 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्ररूप 3 में जारी करेगा।

**5. संदाय की संसूचना -** नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अनुसरण में संदायों के ब्यौरों के साथ उनके सबूत को घोषणाकर्ता द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्ररूप 4 में प्रस्तुत किया जाएगा।

**6. धारा 204 की उपधारा (2) के अधीन आदेश --** धारा 204 की उपधारा (2) के अधीन कर बकाया के संबंध में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का आदेश प्ररूप 5 में और विनिर्दिष्ट कर के संबंध में प्ररूप 6 में होगा।

**प्ररूप-1****[नियम 3(1) देखें]**

वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 203 के अधीन प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 के संबंध में घोषणा का प्ररूप

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016

सेवा में,

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी

.....

.....

महोदय/महोदया,

मैं, वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 202 के अधीन घोषणा करता हूँ

### साधारण सूचना :

1. घोषणाकर्ता का नाम .....

2. पता : कार्यालय .....

.....

ई-मेल.....टेलीफोन नं.....

निवास.....

.....

ई-मेल.....टेलीफोन नं.....

3. स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) .....

4. घोषणाकर्ता की प्रास्थिति

(क) कथन करें कि क्या व्यष्टि, हि.अ.कु., फर्म, कंपनी आदि .....

(ख) कथन करें कि क्या निवासी/अनिवासी/मामूली तौर पर निवासी नहीं.....

5. आय-कर रेंज/सर्कल/वार्ड, जहां अंतिम बार निर्धारण किया गया .....

भाग-क – कर बकाया के संबंध में ब्यौरे

1. आय-कर आयुक्त (अपील) के पास 29.02.2016 को लंबित अपील के ब्यौरे :

(क) अपील निर्देश संख्या .....

(ख) निर्धारण वर्ष, जिससे अपील संबंधित है .....

(ग) धारा, जिसके अधीन वह आदेश, जिसके विरुद्ध  
अपील की गई है, पारित किया गया है .....

(घ) ऐसे आदेश की तारीख .....

2. अपील के निर्धारण आदेश से संबंधित होने की दशा में :

(क) निर्धारित कुल आय या कुल संपत्ति .....

(ख) निर्धारण आदेश के अनुसार संदेय रकम:

- (i) कर .....  
(ii) ब्याज .....  
(iii) योग .....  
(ग) विवादित आय .....  
(घ) विवादित कर और ब्याज .....  
(i) कर .....  
(ii) निर्धारण की तारीख तक ब्याज .....  
(iii) योग .....  
(ङ) पूर्वोक्त (घ)(iii) से धारा 202 के अधीन घोषणा करने की तारीख को बकाया मांग .....  
(च) धारा 202(I)(क) के अधीन संदेय रकम: .....  
(i) पूर्वोक्त (ङ) के अनुसार रकम .....  
(ii) यदि (घ)(i) 10 लाख रुपए या उससे अधिक है तो उद्बहणीय न्यूनतम शास्ति का 25 प्रतिशत .....  
(iii) योग (i) + (ii) .....

3. यदि अपील शास्ति आदेश से संबंधित है :

- (क) निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारित कुल आय या कुल संपत्ति, जिसके संबंध शास्ति उद्बहणीय की गई है .....  
(ख) कुल आय पर अवधारित कर और ब्याज .....  
(ग) संदेय कर और ब्याज, जो धारा 202 के अधीन घोषणा करने की तारीख को बकाया है .....  
(घ) उद्बहणीय न्यूनतम शास्ति .....  
(ङ) शास्ति आदेश के अनुसार उद्बहणीय शास्ति .....  
(च) पूर्वोक्त (ङ) के अनुसार संदेय रकम .....  
(छ) धारा 202(I)(ख) के अधीन संदेय रकम: .....  
पूर्वोक्त (ग) के अनुसार रकम .....  
जोड़ें : पूर्वोक्त (घ) का 25 प्रतिशत .....  
घटाएं: पूर्वोक्त (च) के अनुसार रकम .....  
योग .....

भाग-ख – विनिर्दिष्ट कर के संबंध में ब्यौरे

1. निर्धारित कुल आय .....
2. निर्धारण आदेश की तारीख और धारा, जिसके अधीन निर्धारण किया गया है .....
3. निर्धारण वर्ष .....
4. निर्धारण आदेश/किसी अन्य आदेश के अनुसार संदेय रकम .....
- (i) कर .....
- (ii) ब्याज .....
- (iii) योग .....
5. पूर्वोक्त 4(iii) के अनुसार संदत्त रकम .....
6. धारा 202 के अधीन घोषणा करने की तारीख को बकाया मांग .....
7. धारा 202(II) के अधीन संदेय रकम .....
- [4(i) – 5]
8. तारीख 29.02.2016 को अपील/फाइल की गई रिट या माध्यस्थम्/सुलह/मध्यकता के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां के लंबन या दी गई सूचना के ब्यौरे : .....
- (i) प्राधिकारी या न्यायालय .....
- (ii) (क) अपील/रिट याचिका संख्या .....
- (ख) माध्यस्थम्/सुलह/मध्यकता निर्देश संख्या .....
- (iii) फाइल करने की तारीख/वह तारीख जिसको सूचना दी गई .....
9. (i) क्या अपील/रिट/माध्यस्थम्/सुलह/मध्यकता कार्यवाहियां या उनकी सूचना का प्रतिसंहरण किया गया है हां/नहीं
- (ii) यदि हां, तो प्रतिसंहरण की तारीख (उसका सबूत संलग्न करें) .....

घोषणाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, .....(स्पष्ट अक्षरों में नाम) पुत्र/पुत्री श्री..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, -

- (क) इस घोषणा, विवरण और संलग्न उपाबंधों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा कर बकाया/विनिर्दिष्ट कर की रकम तथा उसमें उपदर्शित अन्य विशिष्टियों का सत्य कथन किया गया है और इस घोषणा में उपदर्शित निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष से संबंधित हैं ;
- (ख) मैं, किसी भी रीति में वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 208 के उपबंधों को निर्दिष्ट करते हुए स्कीम के अधीन घोषणा करने से निरर्हित नहीं हूँ ।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं इस घोषणा को..... की क्षमता [(पदनाम) (कृपया विनिर्दिष्ट करें यदि आप इस घोषणा को घोषणाकर्ता के निमित्त कर रहे हैं)] में कर रहा हूँ तथा मैं इस घोषणा को करने और उसका सत्यापन करने में सक्षम हूँ ।

स्थान .....

.....

तारीख .....

घोषणाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

### प्ररूप भरने के लिए अनुदेश :

1. इस प्ररूप को वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 201(1)(ख) में निर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
2. पूर्ण ब्यौरे देने के लिए जहां आवश्यक हो और शीटों का उपयोग किया जा सकेगा ।
3. इस घोषणा को फाइल करने की तारीख को या उससे पूर्व कर, ब्याज या शास्ति के संदाय के संबंध में आवश्यक ब्यौरे संलग्न करें ।
4. घोषणा के विनिर्दिष्ट कर से संबंधित होने की दशा में प्ररूप के साथ प्ररूप 2 में एक वचनबंध संलग्न किया जाना चाहिए ।
4. उस पंक्ति/भाग को काट दें, जो लागू न हों ।
5. किसी स्तंभ को रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जहां प्रविष्टि सुसंगत नहीं है, स्तंभ को 'लागू नहीं' भरा जाना चाहिए ।
6. किसी अन्य सुसंगत सूचना को, यदि अपेक्षित हो तो पृथक् शीट में संक्षेप में उपदर्शित किया जा सकेगा ।

### प्ररूप-2

### [नियम 3(2) देखें]

वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 203 की उपधारा (4) के अधीन प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 के संबंध में वचनबंध

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016

सेवा में,

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी

.....

.....

महोदय/महोदया,

\*मैं, .....(नाम स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री ..... ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 का फायदा उठाने का विनिश्चय किया है, एतद्वारा विनिर्दिष्ट कर, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष

हों, के संबंध में किसी उपचार को प्राप्त करने या अनुसरण करने या विनिर्दिष्ट कर के संबंध में किसी दावे के संबंध में अपने सभी अधिकारों का स्वैच्छिकता त्यजन करता हूं जो मुझे अन्यथा किसी साम्या, किसी कानून द्वारा या भारत द्वारा किसी अन्य देश या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र के साथ किसी विनिधान के संरक्षण या अन्यथा के लिए किए गए किसी करार में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मुझे उपलब्ध हों।

\*मैं,.....(नाम स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री श्री.....  
पदनाम..... के निमित्त ..... (घोषणाकर्ता का नाम) इस संबंध में सम्यक्तः प्राधिकृत किए जाने के पश्चात् और सक्षम होने पर ..... (घोषणाकर्ता का नाम) द्वारा प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 का फायदा उठाने का विनिश्चय करने पर एतद्वारा विनिर्दिष्ट कर, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हों, के संबंध में किसी उपचार को प्राप्त करने या अनुसरण करने या विनिर्दिष्ट कर के संबंध में किसी दावे के संबंध में अपने सभी अधिकारों का स्वैच्छिकता त्यजन करता हूं जो मुझे अन्यथा किसी साम्या, किसी कानून द्वारा या भारत द्वारा किसी अन्य देश या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र के साथ किसी विनिधान के संरक्षण या अन्यथा के लिए किए गए किसी करार में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मुझे उपलब्ध हों।

पूर्वोक्त वचनबंध अप्रतिसंहरणीय है।

मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि मैं इस वचनबंध के सभी परिणामों से भिन्न हूं।

स्थान: ..... ..

हस्ताक्षर

तारीख: ..... ..

पदनाम

..... ..

पता

..... ..

पैन

**टिप्पण :**

\*जो लागू न हो उसे काट दें।

इस वचनबंध को 'विनिर्दिष्ट कर' के संबंध में प्ररूप 1 में घोषणा के साथ प्रस्तुत किया जाना है।

### प्ररूप-3

#### [नियम 4 देखें]

वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 204 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 के संबंध में संसूचना के प्रमाणपत्र का प्ररूप

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016

श्री/श्रीमती/सुश्री ..... (जिसे इसमें इसके पश्चात् घोषणाकर्ता कहा गया है) ने वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 202 के अधीन घोषणा फाइल की है ;

और उक्त घोषणा ..... को नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त की गई है।

अतः, अब वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 204 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सुसंगत सामग्री पर विचारण करने के पश्चात् निम्नलिखित रकम का एतद्वारा घोषणाकर्ता द्वारा कर बकाया/विनिर्दिष्ट कर, जो उक्त घोषणा द्वारा स्कीम के अधीन आता है, संदाय करने के लिए अवधारण किया गया है :

| क्रम सं. | आय-कर अधिनियम,<br>1961/ धन-कर<br>अधिनियम, 1957 | निर्धारण वर्ष | कर बकाया | विनिर्दिष्ट कर | संदेय रकम |
|----------|------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|-----------|
|          |                                                |               |          |                |           |

घोषणाकर्ता को इस प्रमाणपत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर संदेय राशि का संदाय करने का निदेश दिया जाता है।

उक्त अवधि के भीतर संदेय रकम का संदाय न किए जाने की दशा में प्ररूप 1 के अधीन घोषणा को शून्य माना जाएगा और कभी न की गई समझा जाएगा।

स्थान .....

.....

तारीख .....

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और मुहर

#### प्ररूप-4

#### [नियम 5 देखें]

वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 204 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 के संबंध में  
संदाय की संसूचना

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016

सेवा में,

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी

.....

.....

महोदय/महोदया,

\_\_\_\_\_ के संबंध में प्रमाणपत्र फा.सं. \_\_\_\_\_ तारीख \_\_\_\_\_ द्वारा

प्ररूप 3 में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्रमाणपत्र की प्राप्ति के अनुसरण में \_\_\_\_\_ (घोषणाकर्ता का नाम और पता)

पैन \_\_\_\_\_ लेखांकन वर्ष \_\_\_\_\_, के लिए संदाय के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

| क्रम सं. | बैंक का बीएसआर कूट | जमा की तारीख<br>(दिन/मास/वर्ष) | चालान की क्रम संख्या | रकम (रुपए में) |
|----------|--------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|
| (1)      | (2)                | (3)                            | (4)                  | (5)            |
|          |                    |                                |                      |                |
|          |                    |                                |                      |                |

पूर्वोक्त ब्यौरे के अनुसार संदाय का सबूत संलग्न करें।

स्थान: .....

.....

हस्ताक्षर

तारीख: .....

.....

पदनाम

.....

पता

#### प्ररूप-5

#### [नियम 6 देखें]

वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 205 के साथ पठित धारा 204(2) के अधीन कर बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आदेश

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016

..... (घोषणाकर्ता का नाम और पता) (जिसे इसमें इसके पश्चात् घोषणाकर्ता कहा गया है) ने वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 202 के अधीन घोषणा की थी ;

और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने तारीख ..... के आदेश द्वारा ..... रुपए की रकम का घोषणाकर्ता द्वारा स्कीम के उपबंधों के अनुसार संदाय करने का अवधारण किया है और एक प्रमाणपत्र अनुदत्त किया है, जिसमें ऐसे अवधारण के पश्चात् संदेय विनिर्दिष्ट कर और राशि की विशिष्टियों का नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार विनिर्दिष्ट कर के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए अवधारण किया है ;

और घोषणाकर्ता ने नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अवधारित ..... रुपए का संदाय कर दिया है ;

अब, इसलिए वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 205 के साथ पठित धारा 204 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि—

(क) घोषणाकर्ता ने ..... रुपए की राशि का आदेश फा.सं. ....तारीख ..... में अवधारित कर बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए संदाय कर दिया है।

- (ख) स्कीम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए आय-कर अधिनियम/धन-कर अधिनियम या उक्त अधिनियमिती के अधीन शास्ति के अधिरोपण से [वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 205(ख)(ii) के अनुसार], विवादित कर/विवादित आय, जिसके ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं, के संबंध में किसी अपराध के अभियोजन के लिए कार्यवाहियों से उन्मुक्ति अनुदत्त की जाती है :

| निर्धारण वर्ष | अपील निर्देश संख्या | विवादित आय की रकम | विवादित कर की रकम |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|               |                     |                   |                   |

स्थान .....

.....

तारीख .....

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और मुहर

सेवा में

- (1) घोषणाकर्ता
- (2) निर्धारण अधिकारी
- (3) संबंधित प्रधान आय-कर आयुक्त (अपील)
- (4) संबंधित अपील प्राधिकारी/न्यायनिर्णयन प्राधिकारी

**टिप्पण :** जो लागू न हों उसे काट दें।

#### प्ररूप-6

#### [नियम 6 देखें]

वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 205 के साथ पठित धारा 204(2) के अधीन विनिर्दिष्ट कर के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आदेश

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016

..... (घोषणाकर्ता का नाम और पता)(जिसे इसमें इसके पश्चात् घोषणाकर्ता कहा गया है) ने वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 202 के अधीन घोषणा की थी ;

और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने तारीख ..... के आदेश द्वारा ..... रुपए की रकम का घोषणाकर्ता द्वारा स्कीम के उपबंधों के अनुसार संदाय करने का अवधारण किया है और एक प्रमाणपत्र अनुदत्त किया है, जिसमें ऐसे अवधारण के पश्चात् संदेय विनिर्दिष्ट कर और राशि की विशिष्टियों का नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार विनिर्दिष्ट कर के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए अवधारण किया है ;

और घोषणाकर्ता ने नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अवधारित ..... रुपए का संदाय कर दिया है ;

और घोषणाकर्ता ने उच्च न्यायालय ..... (उच्च न्यायालय के नाम का वर्णन करें) या उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट याचिका/अपील फाइल की थी या भारत द्वारा किसी अन्य देश या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र के साथ चाहे विनिधान या अन्यथा के संरक्षण के लिए किए गए करार के अधीन विनिर्दिष्ट कर के संबंध में किसी आदेश के विरुद्ध माध्यस्थम्/सुलह/माध्यकता कार्यवाहियां आरंभ की हैं/कोई सूचना दी है, -

और घोषणाकर्ता ने ..... उच्च न्यायालय (उच्च न्यायालय के नाम का वर्णन करें) या उच्चतम न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष उक्त रिट याचिका/अपील/कार्यवाही/सूचना का प्रत्याहृत कर लिया है और उसके प्रत्याहृत का सबूत प्रस्तुत किया है ;

और घोषणाकर्ता ने प्ररूप 2, तारीख ..... में वचनबंध प्रस्तुत किया है ;

अतः अब वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 205 के साथ पठित धारा 204 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं प्रमाणित करता हूँ कि--

(क) घोषणाकर्ता ने ..... रुपए की राशि का आदेश फा.सं. ....तारीख ..... में अवधारित विनिर्दिष्ट कर के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए संदाय कर दिया है ।

(ख) स्कीम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए आय-कर अधिनियम/धन-कर अधिनियम या उक्त अधिनियमिती के अधीन शास्ति के अधिरोपण से [वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 205(ख)(i) के अनुसार], विवादित कर/विवादित आय, जिसके ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं, के संबंध में किसी अपराध के अभियोजन के लिए कार्यवाहियों से उन्मुक्ति अनुदत्त की जाती है ।

| निर्धारण वर्ष | अपील निर्देश संख्या | विवादित आय की रकम | विवादित कर की रकम |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|               |                     |                   |                   |

स्थान .....

.....

तारीख .....

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और मुहर

सेवा में

- (1) घोषणाकर्ता
- (2) निर्धारण अधिकारी
- (3) संबंधित प्रधान आय-कर आयुक्त (अपील)
- (4) संबंधित अपील प्राधिकारी/न्यायनिर्णयन प्राधिकारी

**टिप्पण :** जो लागू न हों उसे काट दें ।

[अधिसूचना सं. 35/2016, फा. सं. 142/11/2016-टीपीएल]

डा. ठाकुर सिंह मपवाल, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2016

### The Direct Tax Dispute Resolution Scheme Rules, 2016

**S.O. 1903(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 211 of the Finance Act, 2016, (28 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules, namely :

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Direct Tax Dispute Resolution Scheme Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of June, 2016.

**2. Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Scheme" means the Direct Tax Dispute Resolution Scheme, 2016, specified under Chapter X of the Finance Act, 2016 (28 of 2016);

(b) "section" means section of the Finance Act, 2016 (28 of 2016);

(c) "Form" means the Forms appended to these rules;

(d) all other words and expressions used in these rules but not defined in these rules and defined in the Scheme under Chapter X of the Finance Act, 2016 (28 of 2016), shall have the same meanings respectively as assigned to them in that Scheme.

**3. Form of declaration and undertaking under section 203.-** (1) The declaration under sub-section (1) of section 203 shall be made in duplicate in Form-1 to the designated authority and verified in the manner specified therein.

(2) The undertaking referred to in sub-section (4) of section 203 shall be furnished in Form-2 alongwith the declaration and verified in the manner specified therein.

(3) The declaration under sub-rule (1) and the undertaking under sub-rule (2), as the case may be, shall be signed by the declarant or any person competent to verify the return of income on his behalf in accordance with section 140 of the Income-tax Act, 1961.

(4) The designated authority on receipt of declaration shall issue a receipt in acknowledgement thereof.

**4. Form of certificate under sub-section (1) of section 204.-** The designated authority shall issue a certificate referred to in sub-section (1) of section 204 in Form-3.

**5. Intimation of payment.-** The detail of payments alongwith proof thereof, made pursuant to the certificate issued by the designated authority shall be furnished by the declarant to the designated authority in Form-4.

**6. Order under sub-section (2) of section 204.-** The order by the designated authority under sub-section (2) of section 204 in respect of tax arrear shall be in Form-5 and in respect of specified tax shall be in Form-6.

### Form-1

[See rule 3(1)]

#### FORM OF DECLARATION UNDER SECTION 203 OF THE FINANCE ACT, 2016 IN RESPECT OF THE DIRECT TAX DISPUTE RESOLUTION SCHEME, 2016

#### THE DIRECT TAX DISPUTE RESOLUTION SCHEME RULES, 2016

To,

The Designated Authority

.....

.....

Sir/Madam,

I hereby make a declaration under section 202 of the Finance Act, 2016.

#### **General Information:**

1. Name of the declarant .....

2. Address: Office .....

.....

E-mail.....Telephone No.....

Residence.....

.....

E-mail.....Telephone No.....

3. Permanent Account Number (PAN) .....

4. Status of the declarant  
 (a) State whether individual, HUF, firm, company etc. ....  
 (b) State whether Resident/Non-Resident/Not ordinarily resident.....
5. Name of the Income-tax Range/Circle/  
 Ward where last assessed .....

**Part-A – Details in respect of tax arrear**

1. Details of appeal pending with CIT (Appeals) as on 29.02.2016:
- (a) Appeal reference number .....
- (b) Assessment year to which the appeal relates .....
- (c) Section under which the order appealed against is passed .....
- (d) Date of such order .....
2. In case the appeal relates to assessment order:
- (a) Assessed total income or net wealth .....
- (b) Amount payable as per the assessment order:
- (i) Tax .....
- (ii) Interest .....
- (iii) Total .....
- (c) Disputed Income .....
- (d) Disputed tax and interest:
- (i) Tax .....
- (ii) Interest upto the date of assessment .....
- (iii) Total .....
- (e) Demand outstanding out of (d)(iii) above as on the date of making declaration under section 202 .....
- (f) Amount payable under section 202(I)(a): .....
- (i) Amount as per (e) above .....
- (ii) 25% of minimum penalty leviable if (d)(i) is of Rs.10 lakh or more .....
- (iii) Total (i) + (ii) .....
3. In case the appeal relates to penalty order:
- (a) Assessed total income or net wealth for the .....

assessment year in respect of which penalty  
has been levied

|     |                                                                                                           |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (b) | Tax and interest determined on total income                                                               | ..... |
| (c) | Tax and interest payable that is outstanding<br>as on the date of making declaration under<br>section 202 | ..... |
| (d) | Minimum penalty leviable                                                                                  | ..... |
| (e) | Penalty levied as per the penalty order                                                                   | ..... |
| (f) | Amount paid out of (e) above                                                                              | ..... |
| (g) | Amount payable under section 202(I)(b):                                                                   |       |
|     | Amount as per (c) above                                                                                   | ..... |
|     | Add : 25% of (d) above                                                                                    | ..... |
|     | Less: Amount as per (f) above                                                                             | ..... |
|     | Total                                                                                                     | ..... |

**Part-B – Details in respect of specified tax**

|       |                                                                              |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.    | Assessed total income                                                        | ..... |
| 2.    | Date of assessment order and section under which<br>assessed                 | ..... |
| 3.    | Assessment year                                                              | ..... |
| 4.    | Amount payable as per the assessment order/any<br>other order                | ..... |
| (i)   | Tax                                                                          | ..... |
| (ii)  | Interest                                                                     | ..... |
| (iii) | Total                                                                        | ..... |
| 5.    | Amount paid out of 4(iii) above                                              | ..... |
| 6.    | Demand outstanding as on the date of making<br>declaration under section 202 | ..... |
| 7.    | Amount payable under section 202(II)                                         | ..... |
|       | [4(i) – 5]                                                                   | ..... |

8. Details of pendency as on 29.02.2016, of appeal/ writ filed or proceedings for arbitration/ conciliation/mediation initiated or notice given: .....
- (i) Authority or Court .....
- (ii) (a) Appeal/ writ petition number .....
- (b) Arbitration/ Conciliation/ Mediation reference number .....
- (iii) Date of filing/date on which notice given .....
9. (i) Whether appeal/ writ/ arbitration/ conciliation/ mediation proceedings or notice thereof has been withdrawn Yes/ No
- (ii) If Yes, date of withdrawal (attach proof of the same) .....

.....

Name and signature of the declarant

### **VERIFICATION**

I .....(name in block letters) son/daughter of Shri ..... solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, -

(a) the information given in this declaration, statements and annexures accompanying it is correct and complete and amount of tax arrear/specified tax and other particulars shown therein are truly stated and related to the previous year relevant to the assessment year indicated in this declaration;

(b) I am not disqualified in any manner from making a declaration under the Scheme with reference to the provisions of section 208 of the Finance Act, 2016.

I further declare that I am making this declaration in my capacity as ..... [(designation) (please specify if you are making a declaration on behalf of declarant)] and that I am competent to make this declaration and verify it.

Place .....

Date .....

.....

Name and signature of the declarant

### **Instructions for filling the form:**

1. This Form should be submitted to the designated authority referred to in section 201(1)(b) of the Finance Act, 2016.
2. More sheets may be used wherever necessary to give complete details.
3. Attach necessary details in respect of payment of tax, interest or penalty made on or before the date of filing of this declaration.
4. In case the declaration relates to specified tax, the form should be accompanied with an undertaking in Form-2.
5. Strike off the row/part which is not applicable.
6. No column should be left blank. Wherever the entry is not relevant the column should be filled in as 'Not Applicable'.
7. Any other relevant information may be briefly indicated in a separate sheet, if required.

**Form-2****[See rule 3(2)]****UNDERTAKING UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 203 OF THE FINANCE ACT, 2016 IN  
RESPECT OF THE DIRECT TAX DISPUTE RESOLUTION SCHEME, 2016****THE DIRECT TAX DISPUTE RESOLUTION SCHEME RULES, 2016**

To,

The Designated Authority

.....

.....

Sir/Madam,

\*I, .....(name in block letters) son/daughter of Shri ..... having decided to avail the benefit of the Direct Tax Dispute Resolution Scheme, 2016 do hereby voluntarily waive all my rights in respect of specified tax, whether direct or indirect, to seek or pursue any remedy or any claim in relation to the specified tax which may otherwise be available to me under any law for the time being in force, in equity, by statute or under any agreement entered into by India with any other country or territory outside India whether for protection of investment or otherwise.

\*I, .....(name in block letters) son/daughter of Shri .....designation ..... on behalf of ..... (name of declarant) being duly authorised and competent in this regard, the..... (name of declarant) having decided to avail the benefit of the Direct Tax Dispute Resolution Scheme, 2016 do hereby voluntarily waive all its rights in respect of specified tax, whether direct or indirect, to seek or pursue any remedy or any claim in relation to the specified tax which may otherwise be available to me under any law for the time being in force, in equity, by statute or under any agreement entered into by India with any other country or territory outside India whether for protection of investment or otherwise.

The above undertaking is irrevocable.

I also confirm that I am aware of all the consequences of this undertaking.

Place: .....

.....

Signature

Date: .....

.....

Designation

.....

Address

.....

PAN

**Note:**

\*Strike off whichever is not applicable.

The undertaking is to be furnished in respect of 'specified tax' along with the declaration in Form-1.

## Form-3

[See rule 4]

**FORM OF CERTIFICATE OF INTIMATION UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 204 OF THE FINANCE ACT, 2016 IN RESPECT OF THE DIRECT TAX DISPUTE RESOLUTION SCHEME, 2016****THE DIRECT TAX DISPUTE RESOLUTION SCHEME RULES, 2016**

Whereas Mr./Mrs./M/s ..... (hereinafter referred to as the declarant) has filed a declaration under section 202 of the Finance Act, 2016;

And whereas the said declaration has been received on ..... in the office of the designated authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 204 of the Finance Act, 2016 and after consideration of relevant material, the following amounts are hereby determined to be payable by the declarant towards full and final settlement of the tax arrear/specified tax covered by the said declaration under the scheme :

| Sl. No. | Income-tax Act, 1961/<br>Wealth-tax Act, 1957 | Assessment year | Tax arrear | Specified tax | Amount payable |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|----------------|
|         |                                               |                 |            |               |                |

The declarant is hereby directed to make the payment of sum payable within thirty days from the date of receipt of this certificate.

In case of non-payment of amount payable within the said period, the declaration under Form-1 shall be treated as void and shall be deemed never to have been made.

Place ..... .

Date ..... Name, signature and seal of Designated Authority

## Form-4

[See rule 5]

**INTIMATION OF PAYMENT UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 204 OF THE FINANCE ACT, 2016 IN RESPECT OF THE DIRECT TAX DISPUTE RESOLUTION SCHEME, 2016****THE DIRECT TAX DISPUTE RESOLUTION SCHEME RULES, 2016**

To,

The Designated Authority

.....

.....

Sir/Madam,

Pursuant to the certificate received from designated authority in Form-3 vide certificate F.No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ in respect of \_\_\_\_\_ (Name and address of the declarant) \_\_\_\_\_ PAN for A.Y. \_\_\_\_\_, the detail of payments made is as under:



To

- (1) The declarant
- (2) Assessing Officer
- (3) Concerned Pr. Commissioner of Income-tax
- (4) Concerned Commissioner of Income-tax(Appeals)

**Note:** Strike off whatever is not applicable.

### Form-6

[See rule 6]

#### ORDER FOR FULL AND FINAL SETTLEMENT OF SPECIFIED TAX UNDER SECTION 204(2) READ WITH SECTION 205 OF THE FINANCE ACT, 2016 IN RESPECT OF THE DIRECT TAX DISPUTE RESOLUTION SCHEME, 2016

#### THE DIRECT TAX DISPUTE RESOLUTION SCHEME RULES, 2016

Whereas.....(Name and address of the declarant)(hereinafter referred to as declarant) had made a declaration under section 202 of the Finance Act, 2016;

And whereas the designated authority by order dated ..... determined the amount of ..... rupees payable by the declarant in accordance with the provisions of the Scheme and granted a certificate setting forth therein the particulars of the specified tax and the sum payable after such determination towards full and final settlement of specified tax as per details given below ;

And whereas the declarant has paid ..... rupees being the sum determined by the designated authority;

And whereas the declarant had filed a writ petition/appeal before High Court ..... (mention the name of the High Court) or the Supreme Court or initiated proceedings for arbitration/ conciliation/ mediation/ given notice under any agreement entered into by India with any other country or territory outside India whether for protection of investment or otherwise against any order in respect of the specified tax;

And whereas the declarant has withdrawn the said writ petition/appeal/proceeding/notice before ..... (mention the name of the High Court) High Court or the Supreme Court or the authority and furnished proof of such withdrawal;

And whereas the declarant has furnished an undertaking in Form-2 dated .....

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 204 read with section 205 of the Finance Act, 2016, it is hereby certified that-

(a) a sum of Rs..... has been paid by the declarant towards full and final settlement of specified tax determined in the order F.No. ....dated .....

(b) immunity is granted subject to the provisions contained in the Scheme, from instituting any proceeding for prosecution for any offence under the Income-tax Act/Wealth-tax Act or from the imposition of penalty under the said enactment [as per section 205(b)(i) of the Finance Act, 2016], in respect of the disputed tax/disputed income as detailed in the table below:

| Assessment<br>year | Appeal reference<br>number | Amount of disputed<br>income | Amount of disputed<br>tax |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                    |                            |                              |                           |

Place .....

.....

Date .....

Name and signature and seal of Designated Authority

To

- (1) The declarant
- (2) Assessing Officer
- (3) Pr. Commissioner of Income-tax concerned
- (4) Concerned Appellate authority/adjudicating authority

**Note:** Strike off whatever is not applicable

[Notification No. 35/2016, F. No.142/11/2016-TPL]

Dr. T.S. MAPWAL, Under Secy.